Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 15-05-2007

Participants : Maheshwari Smt. Kiran

>

Title: Need to accord the status of an industry to hotels, with a view to promote tourism in the Country.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : महोदय, दिनांक 4 मार्च, 1999 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग घोति किया गया है। इसके पश्चात 7 नवम्बर, 2002 को एक और अधिसूचना जारी की गयी थी जिसमें पूर्व की कुछ विसंगतियों को दूर कर स्पट किया गया था कि पर्यटन उद्योग घोति किया गया है।

राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न विभागों से पत्राचार करने पर ऊर्जा विभाग ने बताया कि उद्योग वह है जहां बिजली की खपत ज्यादा होती हो और कुछ उत्पादन भी होता हो। लेकिन होटल में ये दोनों ही नहीं होते। इसके अलावा टेरिफ का मामला आरईआरसी के ज्यूरिस्डीकेशन में आता है। इसके अलावा ऐसा ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा लघु उद्योग विकास सहायता कार्यालय के अंतर्गत पर्यटन इकाईयों को उद्योग मानने से मना कर दिया है।

मैं इस सदन के मार्फत ध्यान आकर्ति करना चाहती हूं कि जब जलदाय विभाग होटल को उद्योग मानते हुए औद्योगिक चार्ज वसूल कर रहा है और विद्युत विभाग होटल को व्यवसाय मानते हुए व्यवसायिक चार्ज वसूल कर रहा है तो मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल को उद्योग का दर्जा देने का कट करें जिससे कि होटल को भी विद्युत एवं व्यवसायिक चार्ज में रियायत मिल सके।